[illegible]

संख्या [illegible]/III (2)/05-40 (बजट)/2005

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक [illegible] 2005

विषयः- वित्तीय वर्ष 2005-2006 में लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1319/III-2/05-40(बजट)/2005 दिनांक [illegible] 2005, एवं वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं0 1333(1)/XXVII (1)/2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 एवं आपके पत्र संख्या-3552/11बजट (भवन आयोजनागत)/2005 [illegible] दिनांक 24.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 के [illegible] आपके निवर्तन पर रखी प्राविधानित धनराशि रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु [illegible] की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृत धनराशि का [illegible] किया जायेगा [illegible] सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय [illegible] किया जायेगा। [illegible] शासन की पूर्व अनुमति के बिना [illegible] नहीं किया जायेगा। [illegible] की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3 यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि [illegible] किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में [illegible] वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत [illegible] अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, [illegible] व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। [illegible] आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर [illegible] अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5 उक्त स्वीकृत धनराशि का [illegible] आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

6 आवासों के कार्य [illegible] कर लिया जायेगा।

7 यदि [illegible] स्वीकृति के [illegible] किया जाता है तो [illegible] कार्यवाही की जायेगी।

8 स्वीकृत की जा रही धनराशि [illegible] जायेगा।

[illegible]

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य आयोजनागत 800 अन्य व्यय 10 लोक निर्माण (चालू कार्य)-00-24 वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या 267 / XXVII(2)/05 दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या-2515(1)/III(2)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3– अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5 – समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊ क्षेत्र लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
7 बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय,सचिवालय,देहरादून ।
8– वित्त अनुभाग 2/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून।
10– लोक निर्माण अनुभाग 1/3, उत्तरांचल शासन।
11– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।